

सेवा में,

अजीत प्रकाश,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
बिना कोठ-2, समुद्रमार्ग,
प्रति विहार, नई दिल्ली ।

विषय (7) अनुदान

संख्यांक: दिनांक: 12/अप्रैल, 2006

विषय :- आर्य समाज इंटरनेशनल स्कूल बसुन्धरा सेक्टर-6 गाजियाबाद को सीजीपीएसओ नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अन्यापित प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का भिन्ना हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सीजीपीएसओ नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अन्यापित प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अन्यापित नहीं है:-

- (1) विद्यालय की संजीकृत सौतायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- (2) विद्यालय को प्रबंध समिति में बिना निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्ची के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद/केन्द्रीय शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेटल बोर्ड आफ सेक्रेटरी एजुकेशन नई दिल्ली/कौंसिल आफ दि इन्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इन्वैजिगेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परिषद परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की स्थिति से उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रयुक्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमत्त वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेगे ।

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जावेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अध्यात्मकीय सम्पत्तार माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमत्त सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जावेंगे ।
 - (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जावेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
 - (8) विद्यालय का रिकार्ड निजीरत प्रपत्र पञ्जिकाओं में रखा जावेगा ।
 - (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।
- 2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पालन जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रयत्न जन्यपरित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जावेगा ।

भवदीय,

(अजीत प्रकाश)
उप सचिव ।

संख- 555(1)/15-7-2006 लखनौ

प्रतिरूपि निम्नलिखित को सूचनात्मक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- शिक्षा विभाग का निरीक्षक, गाजियाबाद ।
- 4- निरीक्षक, आर्य समाज विद्यालय संख-555, लखनऊ ।
- 5- अध्यक्ष, अमिटी इंटरनेशनल स्कूल बसुंधरा सेक्टर-6 गाजियाबाद ।

आका से,

(अजीत प्रकाश)
उप सचिव ।

Ashley
Principal & Manager
Amity International School
Sector-6, Vasundhara, Ghaziabad

